सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं. NCST/SER-1105/JH/74/2023-RO-RNC - RU-IV दिनांक : 01.05.2025

सेवा मे,

1 **श्री शैलेश कुमार सिंह**
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
प्रथम तल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग,
धुर्वा, रांची- 834004 (झारखंड)
Email Id: secyrd@gov.in

2 **श्री मंजूनाथ भजन्त्री**
उपायुक्त,
जिला – रांची
उपायुक्त कार्यालय, समाहरणालय भवन,
रांची -834001 (झारखंड)
Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला रांची के द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल कर -मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार तथा शोषण करने के संबंध में" - श्री सुखदेव लोहरा, बी) नगरी -.एम.पी.JSLPS), ब्लॉक ऑफिस, 1st तला, बी) .यू.एम.एम.JSLPS), नगरी, राँची से प्राप्त अभ्यावेदन ।"

संदर्भ: आयोग का सीटिंग नोटिस दिनांक 09.04.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। दिनांक 17.04.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **16.05.2025 को 03:40 P.M** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री सुखदेव लोहरा,
बी) नगरी -.एम.पी.JSLPS),
ब्लॉक ऑफिस, 1st तला,
बी) .यू.एम.एम.JSLPS), नगरी,
राँची -835303 (झारखंड)
Mobile No:7909098958

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/SER-1105/JH/74/2023-RO-RNC

श्री सुखदेव लोहरा, बी.पी.एम.- नगरी (JSLPS), ब्लॉक ऑफिस, 1st तला, बी.एम.एम.यू. (JSLPS), नगरी, राँची (मो. 7909098958) के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री सुखदेव लोहरा, बी.पी.एम.- नगरी (JSLPS), ब्लॉक ऑफिस, 1st तला, बी.एम.एम.यू. (JSLPS), नगरी, राँची-835303 ने आयोग में लिखित शिकायत किया है कि श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला - राँची के द्वारा अभ्यावेदक को प्रताड़ना/दुर्व्यवहार तथा अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान किया गया जा रहा है। जिसके कारण अभ्यावेदक को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। अभ्यावेदक ने अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया है कि उनकी पत्नी के प्रथम प्रसव के समय से ही उन्हे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेख किया है कि उनके अतिरिक्त उक्त प्रबन्धक के द्वारा अन्य सभी कर्मचारियों को भी जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। अभ्यावेदक के कार्यकाल के दौरान नगड़ी प्रखण्ड हमेशा अब्बल नम्बर पर रहा किन्तु जिला कार्यक्रम प्रबंधकन के द्वारा उनके कार्यो को देखते हुये भी बदले की भावना से ग्रसित होकर अनदेखा कर जान-बूझकर गलत तरीके से उनका ट्रान्सफर किया कर दिया गया।

आयोग द्वारा मामले में 07.11.2023 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, धुर्वा, राँची एवं उपायुक्त, राँची, झारखंड को नोटिस भेजा गया।

दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे।

- मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-
    1. इस मामले में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार व् उपायुक्त, राँची, झारखंड को नोटिस भेजा गया था जोकि उनके द्वारा बिना सूचना दिए हुए उसका अनदेखा किया गया है जिससे आयोग का समय ख़राब हुआ है जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग मुख्यालय द्वारा आयोग की कार्यप्रणाली अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए
    2. एक माह में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार व् उपायुक्त, राँची कार्यवाही करके रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेंगे।

आशा लकड़ा 22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-1105/JH/74/2023-RO-RNC)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 12:00 HRS in the case of श्री सुखदेव लोहरा, बीएम एम यू. रांची, झारखंड, श्री दिव्य सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला-रांची के द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल कर, मानसिक प्रताड़ना दुर्व्यवहार तथा शोषण के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**ग्रामीण विकास विभाग, रांची, झारखंड**		
1.			
2.			
III	**जिला-रांची (झारखंड)**		
1.			
2.			
IV	**अभ्यावेदक**		
1.			